



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 104) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 26 दिनांक 2 फरवरी 2016—बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा-20 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं —

संशोधन

1. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 3 में संशोधन—बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड-(ख) में प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" को विलोपित किया जायेगा।
2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-444)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 27 एस०ओ० 26 दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०.बिक्री-कर/संशोधन-01/2016-445)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 2nd February 2016

S.O. 26 dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 (Bihat Act 5 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988-

Amendments

1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.— (1) The word “ordinarily” used in clause (b) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be deleted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance
[(File No. Bikrikar /Sansodhan-01/2016-444)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 104-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>